भीम BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

G20

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना

सरकार बनाम मदन लाल सैनी

किस्मः— एफएसएसए एक्ट; नमूना कोडः— जी—2213 मुकदमा नम्बरः— 67 / 2023

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(।।)
एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांकः—26.09.2023

संक्षेप में प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री मदन लाल सैनी पुत्र श्री दल्ला राम एफ.बी.ओ. मैसर्स :— तंवर ज्यूस एण्ड मिष्ठान भण्डार, घूमचक्कर, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं हाल जिला नीम का थाना का थाना उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.05.2023 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स तंवर ज्यूस एण्ड मिष्ठान भण्डार, घूमचक्कर, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं हाल जिला नीम का थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री मदन लाल सैनी पुत्र श्री दल्ला राम उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का विक्रेता होना बताया वहां पर विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पुछा तो उसने अपना नाम मदन लाल होना बताया। उक्त फर्म का खाद्य पदार्थ लाईसेंस दिखाने के लिए कहां तो खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया।

फर्म तंवर ज्यूस एण्ड मिष्ठान भण्डार, घूमचक्कर, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं हाल जिला नीम का थाना पर विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ Strawberry Flavoured Ice Cream (Vadilal) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर फर्म पर एक डिप फ्रिज में 700 एमएल x 18 पैकेट उपलब्ध स्टोक में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 700 एमएल x 4 पैकेट Strawberry Flavoured Ice Cream (Vadilal) जाँच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 880 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **मिथ्याछाप** पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर **जी—2213** खाद्य पदार्थ Strawberry Flavoured Ice Cream (Vadilal) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिथ्याछाप पाया गया। मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Strawberry Flavoured Ice Cream (Vadilal) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बचा जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:10:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को 51,00 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने परं अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आदेश आज दिनांक 26.09.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:10:50 IST
Reason: SelfAttested